क्र०सं० 128(ङ)

रजिस्ट्रेशन नम्बर–एस०एस०पी० / एल०
डब्लू० / एन०पी०–91 / 2008–10
लाइसेन्स टू पोस्ट ऐट कन्सेशनल रेट

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट
भाग–4, खण्ड (क)
(सामान्य परिनियम नियम)

लखनऊ, सोमवार, 5 अप्रैल, 2010
चैत्र 15, 1932 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश शासन
गृह (पुलिस) अनुभाग–10

संख्या–203(1)/6-पु०-10–2010-27(7)-08 टी०सी०
लखनऊ, 5 अप्रैल, 2010

अधिसूचना

प्रकीर्ण

सा०प०नि०–47

पुलिस अधिनियम, 1861 (अधिनियम संख्या 5 सन् 1861) की धारा 2 की उपधारा (3) के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 46 की उपधारा (2) के अधीन शक्ति और इस निमित समस्त अन्य समर्थकारी शक्ति का प्रयोग करके राज्यपाल उत्तर प्रदेश उपनिरीक्षक और निरीक्षक (नागरिक पुलिस) सेवा नियमावली, 2008 को संशोधित करने की दृष्टि से निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं:–

उत्तर प्रदेश उपनिरीक्षक और निरीक्षक (नागरिक पुलिस) सेवा (तृतीय संशोधन)
नियमावली, 2010

1–(1) यह नियमावली उत्तर प्रदेश उपनिरीक्षक और निरीक्षक (नागरिक पुलिस) सेवा (तृतीय संशोधन) नियमावली, 2010 कही जायेगी। संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

(2) यह 02 दिसम्बर, 2008 से प्रवृत्त हुई समझी जाएगी।

नियम 30 का संशोधन।

2--उत्तर प्रदेश उपनिरीक्षक और निरीक्षक (नागरिक पुलिस) सेवा नियमावली 2008 में नीचे स्तम्भ 1 में दिए गए विद्यमान नियम 30 के स्थान पर स्तम्भ 2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा अर्थात् --

स्तम्भ--1 विद्यमान नियम	स्तम्भ--2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित उपनियम
30--राज्य सरकार द्वारा बनाई गई किसी अन्य नियमावली या जारी किये गये शासनादेश या प्रशासनिक अनुदेशों में अर्न्तविष्ट किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी, इस नियमावली के उपबन्ध प्रभावी होंगे।	30-- (1) राज्य सरकार द्वारा बनाई गई किसी अन्य नियमावली या जारी किये गये शासनादेश या प्रशासनिक अनुदेशों में अर्न्तविष्ट किसी बात के प्रतिकूल होते हुए भी, इस नियमावली के उपबन्ध प्रभावी होंगे। (2) उत्तर प्रदेश पुलिस बल में नागरिक पुलिस के उपनिरीक्षकों और निरीक्षकों के चयन, पदोन्नति, प्रशिक्षण, नियुक्ति, ज्येष्ठता निर्धारण और स्थायीकरण आदि से सम्बन्धित या उनसे आनुषंगिक विषयों के सम्बन्ध में समय--समय पर जारी किए गए शासनादेश प्रारम्भ से विखण्डित और प्रतिसंहृत हो जायेंगे। (3) सेवारत सदस्यों का, तत्सम्बन्ध में जारी किसी नियमावली शासनादेशों या प्रशासनिक अनुदेशों के अधीन चयन, पदोन्नति, प्रशिक्षण, नियुक्ति, ज्येष्ठता निर्धारण और स्थायीकरण आदि से सम्बन्धित या आनुषंगिक विषयों के सम्बन्ध में, कोई दावा नहीं होगा, और तद्धीन प्रोद्भूत कोई अधिकार समाप्त हुए समझे जायेंगे। (4) ऐसे विखण्डन के होते हुए भी प्रचलित नियमावली, शासनादेशों या प्रशासनिक अनुदेशों के अधीन 02 दिसम्बर, 2008 के पूर्व स्वीकृत चयन, पदोन्नति, प्रशिक्षण, नियुक्ति, ज्येष्ठता निर्धारण और स्थायीकरण आदि की प्रसुविधा प्रत्याहरित नहीं की जायेगी।

आज्ञा से,
कुँवर फतेह बहादुर,
प्रमुख सचिव।